



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014
 संख्या—व.सं./91/2019—५५।

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०१०८०८०,
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
 —सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
 बिहार, पटना।

सेवा में

वन संरक्षक,
 भागलपुर अंचल, भागलपुर। पटना—14, दिनांक—२६/०६/२०२०

विषय : भागलपुर जिलान्तर्गत 132 KV लिलों सबौर—सुल्तानगंज ट्रांसमिशन लाईन (कुल लंबाई 16 कि०मी०) निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.081 हेठल वन भूमि का “सहायक विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, ट्रांसमिशन सब डिवीजन, जगदीशपुर के पक्ष में” अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1371 दिनांक 19.12.2018 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 870 (ई०) दिनांक 25.06.20 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तदआलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ भागलपुर जिलान्तर्गत 132 KV लिलों सबौर—सुल्तानगंज ट्रांसमिशन लाईन (कुल लंबाई 16 कि०मी०) निर्माण हेतु 0.081 हेठल वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है—

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) अपयोजित होने वाली 0.081 हेठल वन भूमि का NPV की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर 6.26 लाख रु० प्रति हेठल की दर पर कुल रु० 50,706/- मात्र की राशि जमा की जायेगी।
- (iii) यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है तथापि हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों का ऐंथिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित प्रयोक्ता एजेंसी रु० 7,30,863/- मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।
- (iv) क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद की कुल राशि (रु० 50,706+7,30,863) रु० 7,81,569/- (रुपये सात लाख इकासी हजार पाँच सौ उनहतर) मात्र को मंत्रालय के वेब—साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराया जायेगा।

- (v) उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जायेगी।
- (vi) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
- (vii) आवश्यकतानुसार वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा।
- (viii) 1 हेक्टर अवकृष्ट वन भूमि पर बौनी प्रजाति (Dwarf Species) (विशेषकर मेडिसिनल पौधों) के पौधों के वृक्षारोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा योजना तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इस कार्यालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की मांग प्रयोक्ता एजेंसी से की जायेगी।
- (ix) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एक भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 58 वृक्षों को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर BSPTCL Campus अथवा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा चिह्नित स्थल पर स्थान्तरित कर बचाया जायेगा।
- (x) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (xi) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (xii) वृक्षों एवं संवाहक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मीटर की दूरी रखी जायेगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छँटाई की जायेगी।
- (xiii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- (xiv) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।
- (xv) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (xvi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित होगा के तहत अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।
- (xvii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xviii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- (xix) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में सहायक विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, ट्रांसमिशन सब डिवीजन, जगदीशपुर) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये 1 (एक) हें वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश अथवा Working permission निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— (F.C) ५५। दिनांक २६/०६/२०२०

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— (F.C) ५५। दिनांक २६/०६/२०२०

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— (F.C) ५५। दिनांक २६/०६/२०२०

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल भागलपुर/सहायक विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, ट्रांसमिशन सब डिवीजन, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।


Rakesh Kumar
26/06/20